प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 06/2023

अनवान : –

1. सुनीता पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 20/05/2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 85/92 के खसरा नं0 116 की 8.9660 हैक्ट भूमि , खसरा नं0 119 की 4.8430 हैक्ट भूमि कुल 13.8090 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीया का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में सीता पुत्री शिशपाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम सुनीता पुत्री शिशपाल है। यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज रहने से प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थीया का अन्य दस्तावेजात यथा मतदाता पहचाना पत्र, आधारकाड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जनआधार कार्ड आदि में प्रार्थीया का नाम सुनीता दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज हुआ है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया अपना नाम संशोधित करवाने की अधिकारी है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। हमने प्रार्थीया को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 85/92 के खसरा नं0 116 की 8.9660 हैक्ट भूमि , खसरा नं0 119 की 4.8430 हैक्ट भूमि कुल 13.8090 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रांर्थीया का नाम सीता पुत्री शिशपाल दर्ज है। प्रार्थीया का कथन है कि उसका सही नाम सुनीता है यही नाम अन्य दस्तावेज में भी दर्ज है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का ललानाबास उतरादा, भू0अ0नि0 गोगामेड़ी एवं नायब तहसीलदार रामगढ़ की रिपोर्ट में भी नाम संशोधन की अभिशंषा की गई है।

प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा मतदाता पहचाना पत्र, आधारकाड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जनआधार कार्ड आदि में प्रार्थीया का नाम सुनीता दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है। प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थीया का नाम सुनीता होना प्रतीत होता है। नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्कि राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों तथा नायब तहसीलदार एवं भू0अ0नि0 एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 85/92 के खसरा नं0 116 की 8.9660 हैक्ट भूमि , खसरा नं0 119 की 4.8430 हैक्ट भूमि कुल 13.8090 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में सीता पुत्री शिशपाल के स्थान पर सुनीता उर्फ सीता पुत्री शिशपाल का संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:22:54 IST
Reason: SelfAttested

...ण्ड अधिकारी (राजस्व)
... गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
...मानगढ़) कैम्प : लल... उतरादा